तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 13/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/19) बअनवान ओमीदेवी व अन्य बनाम बालकिशन इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

श्रीमती ओमीदेवी व अन्य

बनाम

बालकिशन इत्यादि

उपस्थित

1. श्री स्वर्णसिंह चम्पावत, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या पांच

आदेश

दिनांक 01 अप्रैल 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2023 अनवान बालकिशन बनाम बाया देवी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 अक्टूबर 2023 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 23 जनवरी 2024 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा उभय पक्ष मौके पर मौखिक बंटवाड़े अनुसार अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट संख्या एक केवल 1/5 हिस्से का सहखातेदार दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पो. के हिस्से को संरक्षित करने के बजाय संपूर्ण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीनीगण की जीविका का साधन है। अपीलाधीन आदेश के प्रभाव से अपीलार्थीनीगण को वादग्रस्त आराजी में निहित अपने अंश के उपयोग-उपभोग करने में व्यधान उत्पन्न हो रहा है। अपीलार्थीनीगण वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार काश्तकार होने से प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के विंदु अपीलार्थीनीगण के पक्ष में है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक के नाम दर्ज भूमि से अधिक हिस्से पर रेकर्डेड खातेदारान् के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जो विधि-विरुद्ध होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय में अधिवक्ता नियुक्त किया गया था। अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीनीगण को आश्वस्त किया गया कि जब भी कोई आदेश होगा, उन्हें सूचना कर दी जायेगी, किंतु अधिवक्ता द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से अपीलार्थीनीगण को अपीलाधीन आदेश की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। अपीलार्थीनीगण द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2023 को निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 13/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/19) बअनवान ओमीदेवी व अन्य बनाम बालकिशन इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणागुण पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक अपीलार्थीनीगण विवादग्रस्त आराजी खसरा न 436/1 रकबा 0.05 बिस्वा, खसरा नंबर 737/1 रकबा 04.05 बीघा, खसरा नंबर 411/5 रकबा 02 बीघा ग्राम झालामण्ड की रेकर्डेड सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। अपीलार्थीनीगण का कथन है कि पक्षकारान् वादग्रस्त आराजीयात पर मौखिक बंटवाड़ा अनुसार अपने-अपने हक-हिस्से पर काबिज काश्त है। विद्वान न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी/रेस्पो. संख्या एक के हिस्से को संरक्षित रखने के बजाय संपूर्ण भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जो प्रथमदृष्टया विधिसम्मत नहीं है। अपीलार्थीनीगण द्वारा अपनी आजीविका हेतु वादग्रस्त आराजी का बिना किसी विशेष भू-भाग दर्शाये हस्तांतरण किया जाता है तो रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलार्थीगण के पक्ष में पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में उक्त ऑब्जर्वेशन अनुसार अपीलार्थीनीगण को वांछित छूट प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 13/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/19) बअनवान ओमीदेवी व अन्य बनाम बालकिशन इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 अक्टूबर 2023 में अपीलार्थीनीगण को अपने हक-हिस्से की भूमि को बिना कोई विशिष्ट भू-भाग दर्शाये साधारण हस्तांतरण/बेचान की छूट प्रदान की जाती है। अपीलार्थीनीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी विशेष भू-भाग दर्शाते हुए बेचान करने की स्थिति में अदालत हाजा की उक्त छूट मान्य नहीं होगी।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर